[23/12/2019] परिशिष्ट 'अ'

प्रश्न सं. [क्र. 290]

कार्यालय नगरपालिका परिषद,नीमच जिला नीमच (म.प्र.)

क्रमांक–1066 / लोक निर्माण / 2019 नीमच,दिनांक 10.12.2019

प्रति,

खनि अधिकारी
जिला नीमच म.प्र.

विषयः– विधानसभा (अतारांकित प्रश्न क्रमांक 290) माननीय विधायक श्री दिलीपसिंह परिहार द्वारा तालाबों की खुदाई से प्राप्त रायल्टी।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / खनिज / 2019 / 234 दिनांक 09.12.2019

–00–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में विधानसभा (अतारांकित प्रश्न क्रमांक 290) के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है –

प्रश्न	उत्तर
(क) नीमच विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर छोटे, बड़े, मझोले तालाबों के जीर्णोद्धार / गहरीकरण हेतु की गई खुदाई को लेकर विभाग द्वारा कितनी रायल्टी की वसूली स्थानीय निकायो से की गई है ? स्थानीय निकाय द्वारा किये गये खनन कार्य एवं खनिज सामग्री का किस तरह से उपयोग किया गया है ? इस बाबत् कोई जानकारी है ? यदि है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई जावे।	ग्वालटोली तलैया का गहरीकरण विभागीय तौर पर वर्ष 2016 में कराया गया। जिसमें नगरपालिका द्वारा किराये के आधार पर पोकलेन, जेसीबी एवं डम्पर चलाये गये। गहरीकरण से खोदी गई मिट्टी को विभागीय तौर पर तालाब की वाल बनाने में उपयोग ली गई। चूंकि भूमि नगरपालिका स्वामित्व की होने से किसी प्रकार की रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया।
(ख) क्या विभाग द्वारा स्थानीय निकाय को किये गये खनन कार्य के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? यदि हां तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जावे ।	विभागीय कार्य होने से खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।
(ग) प्रश्नांश (क) में किये गये खनन कार्यो के संबंध में निकाय द्वारा विभाग से कोई अनुमति ली गई है ? यह भी स्पष्ट है कि खनन के संदर्भ में निकाय द्वारा विभाग को कितनी धनराशि रायल्टी के रूप में जमा कराई गई है?	निकाय के स्वामित्व की भूमि एवं विभागीय कार्य होने से निकाय द्वारा खनिज विभाग से अनुमति ली जाना आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ है।
(घ) क्या खोदे गये तालाबों से निकाली गई मिट्टी की मात्रा के संबंध में माप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) का संधारण किया गया ? यदि हां तो संधारित अभिलेखों की समस्त प्रतियां उपलब्ध कराई जावे। नहीं तो कारण स्पष्ट करें।	तालाब गहरीकरण से निकाली गई मिट्टी उसी स्थल पर तालाब की वाल बनाने में विभागीय तौर पर उपयोग में ली गई। जिसका माप पुस्तिका संधारित नहीं किया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, नीमच

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग.